न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2023

(GCMS 2023/338)(212222356090997)

मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी चक 5 के एस डी पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 01.11.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. जिला कलक्टर कार्यलय में डाक पंजिका में अंकित क्रमांक 735 दिनांक 04.05.2023 व क्रमांक 734 दिनांक 04.05.2023 से सतर्कता शाखा में न्याय करने अग्रेसित प्रेषित की है। बनाम लोक सेवक एसडीएम भारती फुलफकर कार्यालय श्रीविजयनगर [illegible] राहुल वर्मा के खिलाफ आरटीआई कानून [illegible] व निश्चित समय अवधि में सूचना नहीं देने व [illegible] नियमानुसार एईएन राहुल के खिलाफ की जिम्मेदार दायि[illegible] नहीं निभाने का अ[illegible] किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. बिन्दु एक के अनुसार दोनों प्रार्थनों की प्रमाणित दस्तावेज की कॉपी चाही है।
3. शिकायतकर्त्ता के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज (जो परिवाद का जांचकर्त्ता) द्वारा लिए गए ब्यानों की कॉपी चाही है।
4. शिकायतकर्त्ता को ब्यानों के लिए दिए गए नोटिस की फोटो कॉपी प्रमाणित चाही हैं।
5. शिकायतकर्त्ता के प्रार्थना पत्र का निर्णय व जांच करने वाले लोक सेवक का पदनाम व कार्यालय मय सील का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
6. दोनों प्रार्थना की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
7. अप्रार्थी का (अरोपी) स्पष्टीकरण की प्रमाणित दस्तावेज चाही है।
8. इन दोनों प्रार्थनों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेज प्रमाणित चाहा है।
9. आरटीआई में आवेदन पोस्टल क्रमांक की 62 एफ 304466, 10 रूपये राजकोष में जमा रसीद एव कैश बुक में अंकित पंजिका पेज की फोटो कॉपी प्रमाणित चाही है।
10. दोनों प्रार्थना पत्रों पर पूर्ण न्याय करने वाले लोक सेवक पदनाम की सूची प्रमाणित दस्तावेज चाहा है। ऊपर अंकित बिन्दुओं सूचनाएं आवेदन के संलग्न प्रार्थना पत्रों के अनुसार चाही है। जिला कलक्टर में सतर्कता शाखा से व अन्य से भी हो सकती है।

प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ एवं [illegible] जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ14/सतर्कता/[illegible]/63 दिनांक 06.05.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह निवासी सुखचैनपुरा रायसिंहनगर जिला अनूपगढ मोबा. 9461941862 के आवेदन दिनांक 01.11.2023 की सूचना क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर एवं प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी समिति बैंक लि., श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी को सीधे की सूचना दिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक एफ14()/सर्त/सूचना का अधिकार/2021/266–267 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर एवं प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी समिति बैंक लि., श्रीगंगानगर को लिखा गया था तथा जिसकी प्रति आवेदन को कार्यालय पत्रांक 268–269 दिनांक 09.11.2023 द्वारा भिजवाई गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

-sd-
(नरेन्द्र पाल सिंह)
प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ14(11)/सर्त/सूचना का अधिकार/2021/266–267 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर एवं प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहाकारी समिति बैंक लि., श्रीगंगानगर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हस्तांतरित कर दी थी। इसलिए अपीलार्थी को अपनी सूचनाओं हेतु अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर एवं प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहाकारी समिति बैंक लि., श्रीगंगानगर से सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए और अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर एवं प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहाकारी समिति बैंक लि., श्रीगंगानगर द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested